



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-281

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286090 दिनांक 06/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sukhveer Singh Solanki S/o Harbhan Singh Solanki	श्री क्षेत्रपाल सिंह पुत्र श्री इंगर सिंह	41	252.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-B	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना राम नगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-41 क्षेत्रफल 252 व.मी. की लीजडीड दिनांक 05.12.2005 को श्री क्षेत्रपाल सिंह पुत्र श्री इंगर सिंह के पक्ष में जारी की गई है। दिनांक 24.04.1995 को श्री क्षेत्रपाल सिंह पुत्र श्री इंगर सिंह ने कुटुबी भाई के पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह को जरिये पंजीकृत गोदनामा गोद लिया गया है। दिनांक 25.06.2006 को श्री क्षेत्रपाल सिंह पुत्र श्री इंगर सिंह की मृत्यु हो गई जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। तत्पश्चात



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दिनांक 14.12.2017 को भूखण्ड संख्या बी-41 क्षेत्रफल 252 व.मी. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कृष्ण पाल सिंह द्वारा जरिये पंजीकृत उपाहर पत्र श्री सुखवीर सिंह सोलंकी पुत्र श्री हरभान सिंह सोलंकी को दिया गया। आवेदक द्वारा अपलोड लीजडीड में डिस्पेच नम्बर व दिनांक अंकित नहीं है, परन्तु ऑफिस कॉपी एवं सीपीआरएमएस पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार दिनांक 05.12.2005 अंकित है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sukhveer Singh Solanki S/o Harbhan Singh Solanki को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिव्यक्ति) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

